संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनाँक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या 4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनाँक 07 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में कोविड-19 महामारी के चलते राज्य सरकार के कैश मैनेजमेन्ट के दृष्टि से शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3(2) द्वारा निर्माण कार्यों के संबंध में कतिपय संशोधन किये गये है।

3- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक प्रभाव से निर्माण कार्यों के संबंध में उक्त शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3(2) के स्थान पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनाँक 07 अप्रैल, 2020 की निम्नलिखित व्यवस्थायें पूर्ववत् प्रभावी होंगी -

(1) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(2) यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 10 करोड़ से अधिक है तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगीं। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चैथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-1/2021/बी-1-141(1)/दस-2021-231/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी/ व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।